30/01/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 07.10.2024 को जारी टी.आई. निरस्त किया जाता है। विज्ञप्ति निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल किया गया। नंबर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/629

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.31 17:36:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलेक्टर सूरतगढ।

प्र0 सं0 269/2024 GCMS:-2024/629 तारीख दायरा 07.10.2024

अनवान

1. मनीषा पुत्री सत्यपाल जाति जाट निवासी वार्ड नं0 5 ऐटा तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. गोविन्द पुत्र सत्यपाल जाति जाट निवासी वार्ड नं0 5 ऐटा तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. कोमल पुत्री स्वरूपसिंह जाति जाट निवासी वार्ड नं0 5 ऐटा तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. हरीश पुत्र स्वरूपसिंह जरिये कुदरतिबली माता लीला देवी पत्नी स्वरूपसिंह जाति जाट निवासी वार्ड नं0 5 ऐटा तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

——प्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

बनाम

1. गीता देवी पत्नी सुगनाराम जाति जाट निवासी वार्ड नं0 5 ऐटा तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. सत्यपाल पुत्र सुगनाराम जाति जाट निवासी वार्ड नं0 5 ऐटा तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. स्वरूपसिंह पुत्र सुगनाराम जाति जाट निवासी वार्ड नं0 5 ऐटा तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. अनिता उर्फ समेस्ता पुत्री सुगनाराम जाति जाट निवासी वार्ड नं0 5 ऐटा तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
5. कलावती पुत्री सुगनाराम जाति जाट निवासी वार्ड नं0 5 ऐटा तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अनतर्गत
धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थित

1. राजवीर भादू अधिवक्ता प्रार्थी की तरफ से।
2. अजय कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 की तरफ से।
3. पैरोकार राज.

आदेश दिनांक 30.01.2025

पत्रावली बाद बहस वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के दादा सुगनाराम पुत्र गणपत के नाम से रोही ऐटा तह0 सूरतगढ के ख0 नं0 158/2 की 1.568 है0, 158/3 की 4.149 है0, ख0 नं0 175/8 की 3.896 है0 कुल 9.614 है0 भूमि टी.सी. पर आंवटित हुई थी। जिसकी खातेदारी प्र0 सं0 189/2008 दिनांक 13.08.2008 के द्वारा जारी हुई थी। प्रार्थीगण के दादा के दो पुत्र दो पुत्रिया है। दादा फौत हो चुके है। प्रार्थीगण सं0 1 व 2 के पिता एवं प्रार्थी सं0 3 व 4 के ... प्रत्येक का विरासतन 1/5 हिस्सा बनता है। अपने पिता को प्राप्त होने वाले हिस्सा में प्रार्थीगण प्रत्येक का ... हिस्सा बनता है जो कि प्रार्थीगण घोषित करवाने के हकदार है। लेकिन प्रार्थीगण के दादा द्वारा एक वसीयत अपनी पत्नी अप्रार्थी सं0 1 के नाम करवा दिया जिसका इं0 नं0 1272 दिनांक 28.05.2013 के द्वारा अप्रार्थीगण सं0 1 के नाम दर्ज हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.31 17:36:03 IST
Reason: SelfAttested

—पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रार्थीगण के दादा के फौत होने के पश्चात प्रार्थीगण अपने हिस्सा अनुसार मौका पर काबिज है। प्रार्थना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर दावा के निर्णय तक प्रशनगत भूमि में अपने कब्जा काश्त में दखलदांजी नहीं करने एवं रहन बैय नहीं करने व मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति रखने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 07.10.2024 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई एवं अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 ने जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया एवं प्रकरण में शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी सं0 1 ने अपने जवाब में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रशनगत सम्पति पैतृक सम्पति की श्रेणी में नहीं आती है। स्वअर्जित सम्पति है। अतः प्रार्थीगण के पिता को कोई अधिकार नहीं प्राप्त होते। आंवटि सुगनाराम ने अपने जीवनकाल में ही भूमि मुझ अप्रार्थी सं0 1 को पंजीकृत दानपत्र के जरिए हस्तांतरित कर दी थी। इसलिए प्रशनगत भूमि स्वअर्जित श्रेणी की भूमि है। अतः प्रार्थना पत्र मय खर्चे खारिज करने का निवेदन किया। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराते हुए अंतरिम निषेधाज्ञा को दावा के निर्णय तक जारी रखने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं0 1 के अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने एसा कोई साक्ष्य या विधिक तथ्य पेश नहीं किया जिसमें कि भूमि पैतृक साबित हो। एवं वादपत्र भी विधिविरूद्ध होने के कारण वादकारण के अभाव में खारिज किए जाने योग्य बताया। एवं अपने पक्ष में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय सी.जे. (सिविल) 2018 द्वितीय पेज 559 का हवाला देते हुए निवेदन किया कि इस निर्णय से पैतृक सम्पति की अवधारणा निश्चित की गई है। जिसके अनुसार प्रार्थीगण की भूमि पैतृक श्रेणी में नहीं आती । दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पक्षकारो के अभिवचन का अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में भूमि दादा सुगनाराम का आवंटन होना स्वीकार किया है एवं सुगनाराम द्वारा अपने जीवन काल में ही सम्पति पंजीकृत दस्तावेज दानपत्र के द्वारा हस्तांतरित कर दी थी। अतः सुगनाराम की मृत्यु पश्चात प्रार्थीगण के पिता को कोई विरासत अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रस्तुत न्याय निर्णय में पैतृक सम्पति की परीभाषा अनुसार आंवटी सुगनाराम की प्रशनगत भूमि पैतृक सम्पति की श्रेणी में नहीं आती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम दृष्टया साबित नही होता। अतः अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्रार्थीगण किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 07.10.2024 को इसी स्तर पर निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाता है एवं पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 07.10.2024 एवं प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाते है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.31 17:36:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)